

14/12/23

पत्रावली आज वादीनी की ओर से Adv. विष्णु मीर
द्वारा दिनांक 08/12/2023 को प्रेषित प्रार्थना पत्र
मंत्र व कालतनामा पर पुनर्वाकई हेतु नलष हुई
वादीनी पत्र अधिवक्ता की ओर से वाद विद्ने
करने का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि
उक्त प्रकरण में पक्षकारों का शरीरनामा करवा
दिया है अतः वादीनी वाद को भागे नहीं चलाना
चाहती है, अतः वाद विद्ने किया जावे।

अतः वादीनी का प्रार्थना पत्र
वास्तव में वाद का स्वीकार किया जाकर
वाद में भागे की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त
की जाकर वाद विद्ने किया जाता है। पत्रावली
प्रश्नार्थ सुधार होकर वास्तविक पक्षकारों से
कद हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

तख्त कवर

अधिवक्ता

